संख्या-52/2025/आई/992033/2025/001-23-2005(002)/162/2025

प्रेषक,

रिपुंजय गुप्ता
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 12 जून,2025

विषय:-मा० न्यायालय भूमि अर्जन पुनर्व्यस्थापन प्राधिकरण मुरादाबाद नि०वाद सं0-25/2020 शमीम आदि बनाम उ०प्र० राज्य में हुए आदेश दिनांक-22.04.2025 /30.04.2025 के अनुपालन के संबंध में भुगतान हेतु।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-आई/166189/2025, दिनांक 23.05.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा० न्यायालय भूमि अर्जन पुनर्व्यस्थापन प्राधिकरण मुरादाबाद नि०वाद सं0-25/2020 शमीम आदि बनाम उ०प्र० राज्य में हुए आदेश दिनांक-22.04.2025 /30.04.2025 के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य योजना के अन्तर्गत अधिग्रहीत भूमि के भुगतान हेतु धनराशि रू0 22.53025 लाख (बाईस लाख तिरेपन हजार पच्चीस मात्र) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1)- स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

(2)- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(3)- प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(4)- यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(5)- प्रायोजना में भूमि अध्याप्ति का प्राविधान किया गया है। अतः भूमि के प्रतिकर का भुगतान विभाग द्वारा सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(6)- उक्त धनराशि के भुगतान से पूर्व समस्त तथ्यों की जॉच कर ली जाय एवं धनराशि की गणना की शुद्धता की जॉच करते हुए यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त देयता के सम्बन्ध में पूर्व में कोई धनराशि काश्तकार को नहीं दी गई है।

(7)- लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अतः अब समस्त

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

धनराशि का आहरण-वितरण संबंधी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं संबंधित वित्तीय नियमों / शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रू0 22.53025 लाख (बाईस लाख तिरेपन हजार पच्चीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक 5054-सड़को तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-अन्य व्यय-0302-विभिन्न मार्गो पर अधिग्रहीत भूमि प्रतिकर का भुगतान जिसके भुगतान के लिए आदेश न्यायालय या शासन से प्राप्त हुए हों-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27.03.2025 में विभागाध्यक्ष को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
रिपुंजय गुप्ता
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिलाधिकारी, बिजनौर।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4- मुख्य अभियन्ता (मु0-1/2), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6- मुख्य अभियन्ता, मुरादाबाद क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, मुरादाबाद।
7- अधीक्षण अभियन्ता, रामपुर वृत्त, लोक निर्माण विभाग, रामपुर।
8- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, लोक निर्माण विभाग, बिजनौर (मु0-नजीबाबाद)।
9- लोक निर्माण अनुभाग-10
10- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
11- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम) लोक निर्माण विभाग उ0प्र0 शासन
12- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
रिपुंजय गुप्ता
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।